




# बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र  
2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

आयोजक  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊच





University of Lucknow | लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

प्रो. आलोक कुमार राय  
कुलपति

**Prof. Alok Kumar Rai**  
Vice Chancellor



लखनऊ विश्वविद्यालय  
लखनऊ 226007 (उ.प.) भारत  
**University of Lucknow**  
Lucknow-226007 (U.P.) INDIA



## कुलपति महोदय का संदेश

अत्यन्त प्रसन्नता का क्षण है कि उत्तर प्रदेश शासन ने 'उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा-2020' को आयोजित करने का उत्तरदायित्व पुनः लखनऊ विश्वविश्वविद्यालय को सौंपा है। अपने शताब्दी वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय इस महती उत्तरदायित्व को पाकर अत्यन्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लखनऊ नवाबों का शहर है। पुण्य सलिला गोमती के पावन तट पर स्थित प्राचीन लखनपुरी अर्थात् वर्तमान के लखनऊ की स्थापना भगवान् श्री राम के अनुज वीर लक्ष्मण के द्वारा की गयी थी। लखनऊ ऐतिहासिकता एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम है जहाँ एक ओर नवाबी युग की पहचान बड़ा इमामबाड़ा एवं छोटा इमामबाड़ा, रुमी दरवाजा, रेजीडेंसी, दिलकुशा गार्डन इत्यादि गौरवमयी इतिहास के साक्षी हैं, वहीं दूसरी ओर अम्बेदकर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, उच्च न्यायालय का नवीन भवन, गोमती तट पर विकसित रिवर फन्ट तथा मैट्रो रेल परियोजना नये लखनऊ की शान है।

लखनऊ शहर के निवासी अपनी नजाकत (Exility), नफासत (Sophistication) और तहजीब (Culture) के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इस आपाधापी एवं रफ्तार भरे युग में 'पहले आप पहले आप' की परम्परा भी केवल लखनऊ में ही है।

ऐसे अद्भुत शहर में 25 नवम्बर 1920 को लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विगत् सौ वर्षों में लखनऊ विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है तथा विश्व के फलक पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनायी है। भारत के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. बीरबल साहनी, प्रसिद्ध समाजशास्त्री धुर्जटा प्रसाद मुखर्जी, खेल जगत के शिरोमणि हाँकी खिलाड़ी के.डी. सिंह 'बाबू' क्रिकेटर सुरेश रैना तथा आर.पी. सिंह इत्यादि विभूतियों लखनऊ विश्वविद्यालय की ही देन हैं। उच्च-शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों यथा – शिक्षण कार्य, शोध कार्य एवं सामाजिक गतिविधियों में भी लखनऊ विश्वविद्यालय का योगदान अतुलनीय है।

बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2020 को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पन्न करायी जा रही है। बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों की सफलता हेतु मंगल कामनायें तथा इस महती कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु कठिबद्ध विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं टीम के सदस्यों को शुभकामनायें।

आलोक कुमार राय  
कुलपति

प्रो. अमिता बाजपेयी  
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय  
**Prof. Amita Bajpai**  
Dean, Faculty of Education



## शुभकामना संदेश

'उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2020–22 की राज्य स्तरीय बी.एड. (द्विवर्षीय) संयुक्त प्रवेश परीक्षा—2020' को आयोजित करने का उत्तरदायित्व पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपना इस तथ्य का परिचायक है कि शासन को लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य कुशलता एवं क्षमता पर पूर्ण विश्वास है।

लखनऊ विश्वविद्यालय का सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न हो। प्रवेश प्रक्रिया में तकनीकी का अधिकतम प्रयोग करते हुए आवेदन, काउन्सिलिंग तथा शुल्क संग्रहण को सरलतम बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि सुदूर क्षेत्रों में बैठे अभ्यर्थी भी इस प्रक्रिया में बिना किसी असुविधा के सम्मति हो सकें।

इस प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी समर्पित टीम के सदस्य सदैव तत्पर हैं। निर्देश—पुस्तिका भी अत्यन्त सरल भाषा में तैयार की गयी है ताकि अभ्यर्थियों में किसी प्रकार का संशय न रहे।

समस्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे निर्देशों को भलीभाँति पढ़कर, आवेदन हेतु समस्त आवश्यक जानकारियों एवं प्रमाणपत्र इत्यादि को एकत्रित करने के पश्चात ही आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार ही असुविधा न हो।

मैं समस्त अभ्यर्थियों की सफलता हेतु कामना करती हूँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनायें प्रेषित करती हूँ।

प्रो. अमिता बाजपेई  
राज्य समन्वयक  
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड.—2020



### शुभकामना संदेश

हर्ष का विषय है कि 'उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2020–22 की राज्य स्तरीय बी.एड. (द्विवर्षीय) संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020' का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय को पुनः सौंपा गया है। यह एक और सरकार द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रति विश्वास को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य-प्रणाली को भी स्पष्टः परिभाषित करता है। इससे विश्वविद्यालय परिवार प्रफुल्लित एवं उत्साहित हुआ है। किन्तु यह दायित्व सुखद होने के साथ-साथ चुनौती पूर्ण भी है।

वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में अभ्यर्थियों के लिए परिस्थितियां जहाँ अनुकूल व सहज हुई हैं, वही अनेक कठिनाइयां भी उपस्थित हुई हैं। हम यथासंभव अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में निरन्तर प्रयासरत रहे हैं।

संभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ कठिनाई हो, किन्तु वैश्विक विकास में तकनीकी के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रक्रिया उनके लिए अनुभव-प्रदाता सिद्ध होगी। अत्यन्त सरल भाषा में तैयार निर्देश-पुस्तिका अभ्यर्थियों के किसी प्रकार का संशय को निश्चय ही दूर करेगी।

हम दृढ़ संकल्प है कि अभ्यर्थियों को अधिकतम सुविधा प्रदान करते हुए, प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता, सुचिता, सहजता व गोपनीयता के साथ संपन्न हो।

मैं समस्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य एवं सफलता की शुभ मंगल कामना करता हूँ।

डॉ. विनोद कुमार सिंह  
राज्य नोडल अधिकारी  
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड.–2020



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## अनुक्रम

पृष्ठ संख्या

1. कुलपति महोदय का संदेश	
2. राज्य समन्वयक का संदेश	
3. कुलसचिव / राज्य नोडल अधिकारी का संदेश	
4. शैक्षिक अर्हता	1
5. महत्वपूर्ण तिथियाँ	2
6. महत्वपूर्ण निर्देश	3
7. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया	4 – 5
8. ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश	6 – 8
9. आरक्षण	9 – 10
10. प्रवेश परीक्षा प्रारूप	11
11. परिशिष्ट – 1 भारांक	12 – 14
12. परिशिष्ट – 2 विश्वविद्यालयों का नाम	15
13. परिशिष्ट – 3 प्रस्तावित शहरों की सूची जहाँ परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है	16
14. सम्पर्क सूत्र	17
15- प्रमाण पत्रों के प्रारूप	18 – 29

बी०एड० (द्विवर्षीय) 2020–22 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

*Applicants are advised to keep visiting the University of Lucknow website regularly for updates*

आवेदकों को सलाह दी जाती है की वे अपडेट के लिए नियमित रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## शैक्षिक अर्हता

बी०एड० (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत है

- विज्ञान/सामाजिक-विज्ञान/मानविकी-वर्ग \* में सामान्य एवं पिछ़ड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बी०ई० एवं बी०टेक० (अभियाँत्रिकी) में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिये न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी०ई० एवं बी०टेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
- दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 05% (पाँच प्रतिशत) की छूट दी जायेगी।
- सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षाशास्त्री (बी०एड०) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है :—

न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों सहित सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा, या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक।

### \* महत्वपूर्ण नोट :

- ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2020 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## बी०एड० (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2020 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ \*

1	ऑन–लाईन आवेदन की प्रारंभ तिथि	:	12 / 02 / 2020	बुधवार
2	ऑन–लाईन आवेदन की अंतिम तिथि	:	06 / 03 / 2020	शुक्रवार
3	विलम्ब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि	:	11 / 03 / 2020	बुधवार
4	प्रवेश–परीक्षा की संभावित तिथि	:	08 / 04 / 2020	बुधवार
5	प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि	:	11 / 05 / 2020	सोमवार
6	ऑन–लाईन प्रवेश काउंसिलिंग प्रारम्भ होने की संभावित तिथि	:	01 / 06 / 2020	सोमवार
7	शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	:	01 / 07 / 2020	बुधवार
8	अभ्यर्थियों का सीधा प्रवेश एवम् उनके प्रमाणन की अंतिम तिथि	:	10 / 07 / 2020	शुक्रवार

- \* किसी विशेष परिस्थिति में बी०एड० (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2020 से सम्बन्धित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय के पास होगा। यदि बी०एड० (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2020 से सम्बन्धित कोई तिथि परिवर्तित होती है तो इसकी सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

### आवेदन शुल्क (Application Fee)

	बिना विलम्ब शुल्क Without Late Fee	विलम्ब शुल्क के साथ With Late Fee
उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	1500	2000
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	750	1000
अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए	1500	2000



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## महत्वपूर्ण निर्देश

- प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता सम्बन्धी निर्देशों को अवश्य पढ़ लें जो <http://lkouniv.ac.in> वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गयी कुछ प्रविष्टियों \* में यदि उसे कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित से ऑनलाइन जमा (Submit) करने की तिथि से चार दिनों के अन्दर लॉग–इन कर त्रुटि संशोधन कर सकता है, चार दिनों के उपरान्त प्रविष्टियों में कोई भी संशोधन किसी भी दशा में संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

प्रविष्टियाँ \* जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है : विषय वर्ग, लिंग तथा भारांक

- आवेदक की अर्हता अथवा भारांकों में किसी भी त्रुटि के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी तरह के वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी।
- आवेदन पत्र अथवा कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर लखनऊ विश्वविद्यालय, भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को समस्त प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- समस्त अभ्यर्थी भरे हुये ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
- आनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो (Front Face), दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर 35mm x 45mm आकार में अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की अधिकतम 50 KB की jpg format में कम्प्यूटर फाईल होगी। ऐसा न होने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूल प्रति/छायाप्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
- प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर–जनित 11 (ग्यारह) अंकों की एक संख्या अंकित है जो कि पंजीकरण संख्या है, जिसे बी०एड० प्रवेश हेतु भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सभी पत्राचार निम्नांकित पते पर किया जायेगा :
- बी०एड० (द्विवर्षीय) 2020–22 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

### राज्य समन्वयक

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी०एड० (द्विवर्षीय) 2020–22

बी०एड० प्रकोष्ठ, शिक्षा संकाय भवन

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 226007

e-mail id : [upjeebed2020@gmail.com](mailto:upjeebed2020@gmail.com)

Mobile Number : 9335715247



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत् तीन चरणों में सम्पन्न होगी:

- |             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम चरण   | — ऑनलाइन पंजीकरण करना।                                                                                                  |
| द्वितीय चरण | — आवेदन पत्र को पूर्ण करना।                                                                                             |
| तृतीय चरण   | — HDFC बैंक के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना एवम् आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना। |

कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूल प्रति/छायाप्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी०एड० (द्विवर्षीय) 2020–22 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाइट [www.lkouniv.ac.in](http://www.lkouniv.ac.in) पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु अपनी अर्हता अवश्य सुनिश्चित कर लें।

### प्रथम चरण – पंजीकरण

1. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (Candidate Registration) लिंक पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें। जहाँ—जहाँ (\*) चिह्न लगा है उन प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से भरना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन में अपनी 12 अंकों की आधार संख्या को भरना है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है तो वे अपना पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आई. डी. का नम्बर अंकित करें।
3. अपनी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात् सही जाँच कर आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
4. सफलतापूर्वक पंजीयन होने के साथ ही आपको कम्प्यूटर—जनित 11 (ग्यारह) अंकों की पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को सावधानीपूर्वक लिख लें एवम् इस पृष्ठ का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया सम्पादित होगी।

**नोट—** प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण करने मात्र से आपका बी०एड० प्रवेश परीक्षा 2020–22 हेतु आवेदन पूर्ण नहीं होता है। यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र को पूर्ण करना है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर दिया जायेगा।

### द्वितीय चरण – आवेदन पत्र को पूर्ण करना

1. शुल्क जमा करने के पश्चात् ‘आवेदन पत्र पूरित करें’ (Submit Application Form) लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पूरित करने के लिये अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, ट्रांजेक्शन संख्या (Transaction ID) एवं जन्मतिथि भरना होगा।
2. स्क्रीन पर मांगी गई सूचनाओं को भरने के बाद सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो (Front Face), दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर 35mm x 45mm आकार में अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की अधिकतम 50 KB

बी०एड० (द्विवर्षीय) 2020–22 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

*Applicants are advised to keep visiting the University of Lucknow website [www.lkouniv.ac.in](http://www.lkouniv.ac.in) regularly for updates*  
आवेदकों को सलाह दी जाती है की वे अपडेट के लिए नियमित रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.lkouniv.ac.in](http://www.lkouniv.ac.in) देखते रहें।



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



की jpg format में कम्प्यूटर फाईल होगी। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिये। गहरे रंग के चश्मे के साथ खीची गयी फोटो स्वीकार न होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।

4. अंतिम रूप से सबमिट (Submit) करने के पूर्व एक बार पुनः प्रविष्टियों को जांच कर सुनिश्चित हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें। पूरित आवेदन पत्र का प्रिन्ट ए–4 आकार के कागज में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने बांये हाथ के अंगूठे का निशान लगायें एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें।

## तृतीय चरण – शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना

1. सम्बन्धित वेबसाइट पर शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करें।
2. HDFC बैंक payment gateway की वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन (Internet Banking / Debit Card / Credit Card) द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करें।
3. ऑन–लाईन माध्यम से भुगतान करने पर बैंक द्वारा जारी Transaction ID को अपने पास सावधानीपूर्वक लिख कर सुरक्षित कर लें।
4. उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा शुल्क रुपये 1500/- तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रुपये 750/- देय होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रुपये 1500/- देय होगा।
5. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन करने वाले सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा शुल्क रुपये 2000/- तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रुपये 1000/- देय होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रुपये 2000/- देय होगा।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क की धनराशि कट जाती है किन्तु लेन–देन असफल होता है तो इस दशा में भुगतान की वापसी, बैंक स्तर से, भुगतान सामंजस्य (Payment-reconciliation) के 24 घण्टे के पश्चात संभव हो सकेगी। परामर्श दिया जाता है कि अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान असफल होने की दशा में, भुगतान का अगला प्रयास 24 घण्टे के पश्चात ही करें।
7. यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है, किन्तु आवेदन–पत्र पूर्ण नहीं किया है तो अभ्यर्थी विलम्ब शुल्क सहित, आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन–पत्र पूर्ण कर सकता है।
8. अंतिम तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश

## (General Instructions for Online Application)

### 1. अभ्यर्थी का नाम (Name of Candidate)

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। नाम के साथ श्री / श्रीमती / श्रीमान / कुमारी / सुश्री आदि सम्बोधन सूचक शब्द नहीं भरें।

### 2. पिता का नाम (Father's Name)

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार पिता का नाम भरा जाये।

### 3. माता का नाम (Mother's Name)

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार माता का नाम भरा जाये।

### 4. जन्मतिथि (Date of Birth)

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। जन्मतिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होगा।

### 5. ई-मेल (e-Mail)

अपना ई-मेल इस स्थान पर लिखें। इस ई-मेल पर एक ओटीपी भेजा जायेगा जोकि आपको ई-मेल के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा।

### 6. मोबाइल नम्बर (Mobile Number)

अभ्यर्थी अपना 10 अंको का मोबाइल नम्बर भरें। इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जायेगा जोकि आपको मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा।

### 7. लिंग (Gender)

पुरुष अभ्यर्थी, पुरुष (Male) के सम्मुख विलक करें तथा महिला अभ्यर्थी महिला (Female) के सम्मुख विलक करें। Transgender अभ्यर्थी अन्य (Others) पर विलक करें।

### 8. राष्ट्रीयता (Nationality)

अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीयता का चयन करें।

### 9. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of UP)

यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ (Yes) का चयन करें अन्यथा नहीं (No) का चयन करें। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परन्तु उसने शैक्षिक योग्यता (हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / स्नातक) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से प्राप्त की है तो अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका में दिये गये प्रारूप – 11 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / स्नातक उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थी अपनी हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / स्नातक अंकतालिका या प्रमाण पत्र अपलोड करें।

### 10. श्रेणी (Category)

बी०एड० (द्विवर्षीय) 2020–22 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

*Applicants are advised to keep visiting the University of Lucknow website [www.lkouniv.ac.in](http://www.lkouniv.ac.in) regularly for updates*  
आवेदकों को सलाह दी जाती है की वे अपडेट के लिए नियमित रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.lkouniv.ac.in](http://www.lkouniv.ac.in) देखते रहें।



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



अभ्यर्थी जिस श्रेणी का हो उसके समुख किलक करें। अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (OBC/SC/ST Category/EWS) के अभ्यर्थी (यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाणपत्र के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण—पत्र धारित करता है तो) अपने वर्ग के समुख किलक करें। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण—पत्र 01 अप्रैल, 2017 या उसके बाद का हो। पिछड़ा वर्ग (OBC) के जिन अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण—पत्र 01 जनवरी, 2020 के पहले का है तो उन्हें 01 जनवरी, 2020 या उसके बाद का आय प्रमाण—पत्र भी अपलोड करना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग पर किलक न करें बल्कि सामान्य के समुख किलक करें। अर्थात् अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। सम्बन्धित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

## 11. परिवार की कुल वार्षिक आय (Total Annual Income of the Family)

अभ्यर्थी अपने परिवार की कुल वार्षिक आय का उल्लेख करें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाणपत्र दिनांक 01 जनवरी 2020 अथवा उसके पश्चात् का निर्गत होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के अभिभावक सेवारत हैं तो अपने अभिभावक का वेतन प्रमाणपत्र अपलोड करें जो कि दिनांक 01 जनवरी 2020 अथवा उसके पश्चात् का निर्गत होना चाहिए।

## 12. विकलांग (Physically Challenged)/ दृष्टिबाधित (Blind)

यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है और इस संवर्ग का लाभ लेना चाहता है तो हाँ (Yes) के समुख किलक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित एतदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाणित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में होना आवश्यक है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

## 13. वैवाहिक स्थिति (Marital Status)

अभ्यर्थी अपनी वैवाहिक स्थिति के लिये विवाहित / अविवाहित / परित्यक्ता / तलाकशुदा (Married / Unmarried / Divorced / Separated) का चयन करें।

## 14. पत्र व्यवहार का पूरा पता (Complete Postal Address)

पत्र व्यवहार के पते में अभ्यर्थी अपना नाम एवं डाक का सम्पूर्ण पता भरें।

## 15. पिन कोड (Pin Code)

अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार में दिये गये पते से सम्बन्धित पिन कोड नम्बर को भरें।

## 16. फोन नम्बर एस.टी.डी. कोड सहित (Telephone No. with STD Code)

अभ्यर्थी अपने फोन नम्बर को एस.टी.डी. कोड के साथ भरेंगे। उदाहरण के लिये लखनऊ के किसी अभ्यर्थी के द्वारा फोन नम्बर निम्न प्रकार भरा जायेगा – 0522 XXXXXXXX

## 17. फोटो पहचान (Photo Identity Card)

अभ्यर्थी अपना 12 अंको का आधार नम्बर भरें। जिन अभ्यर्थियों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है, तो वे अपना पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आई.डी. का नम्बर अंकित करें।



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### 18. फोटो व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (Photograph & Signature of the Candidate)

ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो (Front Face), दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर 35mm x 45mm आकार में अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की अधिकतम 50 KB की jpg format में कम्प्यूटर फाईल होगी। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिये। गहरे रंग के चश्में के साथ खीची गयी फोटो स्वीकार न होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।

### 19. स्नातक परीक्षा विवरण (Details of Graduation)

अभ्यर्थी स्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

### 20. परास्नातक परीक्षा विवरण (Details of Post Graduation)

अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

### 21. उप-श्रेणी (Sub-Category)

यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित या विकलांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। साथ में भारांक की अर्हता में भी उचित स्थान पर हाँ करते हुए सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल रूप में काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

### 22. भारांक हेतु मांग (Weightage Claimed)

- अ) अभ्यर्थी भारांक की अर्हता के लिये परिशिष्ट संख्या 1 को सावधानी पूर्वक देखें।
- ब) उसके अनुसार परिशिष्ट 1 में श्रेणी ए से एफ तक के नीचे उस कोड के अंतर्गत मांगे गये भारांक से सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें।
- स) सम्बन्धित प्रमाणपत्र अपलोड करें।

### 23. प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प (City Option for Entrance Exam)

अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु तीन शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा (परिशिष्ट-3 देखें) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा।

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

### 24. विषय समूह (Subject Stream)

अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें)

### 25. घोषणा (Declaration)

अभ्यर्थी घोषणाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा निर्देशों का पालन करें।

**नोट—** ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## आरक्षण

- A) ऊर्ध्वाधर आरक्षण (**Vertical Reservation**) : बी०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत एवम् 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/ शासनादेश के अनुसार देय होगा।
- B) क्षैतिज आरक्षण (**Horizontal Reservation**) : शारीरिक रूप से विकलांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता)/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 03 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके कारण बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा-शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उ०प्र० के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उ०प्र० में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों के अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

नोट :-

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्त बिना भरी रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्त को भरने के लिये दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।
  2. यदि उक्त क्रम संख्या 01 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्त को भरने के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्त को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।
  3. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के उपरान्त भी आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्त को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।
  4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।
- C) नेत्रहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (Writer) की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 अथवा इनके समकक्ष से अधिक न हो। श्रुत लेखक (Writer) की सुविधा परीक्षा केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा से एक दिन पूर्व केन्द्राध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा।



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



- D) अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- E) केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण—पत्र 01 अप्रैल, 2017 या उसके बाद का हो। पिछड़ा वर्ग (OBC) के जिन अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण—पत्र 01 जनवरी, 2020 के पहले का है तो उन्हें 01 जनवरी, 2020 या उसके बाद का आय प्रमाण—पत्र भी अपलोड करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से एवम् आय प्रमाण पति के नाम पर निर्गत होना चाहिए।

टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।

### प्रवेश पत्र की प्रति

अभ्यर्थी को राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा बी०एड० (द्विवर्षीय)—2020 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के सात दिन पूर्व राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बी०एड० (द्विवर्षीय)—2020 की वेबसाइट <https://lkouniv.ac.in> पर लॉगिन कर अपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को दो प्रतियों में मुद्रित (प्रिन्ट) कर लें व ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपनी दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) का निशान लगायें। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र को दो एक जैसी प्रतियों में लाना है व एक प्रति परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक महोदय को देनी है।



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) की प्रक्रिया यथावत् रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के 02 (दो) अंक मिलेंगे व प्रत्येक गलत उत्तर के एक टिहाई अंक काटे जायेंगे।

प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे।

### प्रश्नपत्र –प्रथम

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	50	100	200	3 घण्टे
ब	भाषा (हिन्दी / अंग्रेजी में से कोई भी)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा। इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक–पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के प्रश्न हल करने होंगे।

### प्रश्नपत्र –द्वितीय

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	समान्य अभिरुचि परीक्षण (General Aptitude Test)	50	100	200	3 घण्टे
ब	विषय योग्यता (कला / विज्ञान / वाणिज्य / कृषि)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' में 4 विषय वर्ग (कला / विज्ञान / वाणिज्य / कृषि) होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में आनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## परिशिष्ट-1

### भारांको से सम्बन्धित प्रावधान

श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
-AØ	राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को  1. इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा  (अ) प्रथम स्थान आने पर (ब) द्वितीय स्थान आने पर (स) तृतीय स्थान आने पर  2. टीम आइटम में  (अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर (ब) सर्वउपविजेता (रनर अप) टीम का सदस्य होने पर (स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर  3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में  (अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर (ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर	10 15 10 05 10 15 10 05 10 10
	नोट:  1) उपर्युक्त 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही मद/प्रतियोगिता का लाभ दिया जायेगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम/प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा।  2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।  3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।	
-BØ	नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी  1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को  या  2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15 10



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
	या	
	3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	15
	या	
	4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	10
	या	
	5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05
	या	
	6. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेञ्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15
	या	
	7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेञ्जर्स निपुण अभ्यर्थी को	10
	या	
	8. स्काउट एवं गाइड्स गुरुपद अथवा रोवर्स/रेञ्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05
	नोट:	
	1) उपरोक्त 1 से 8 के अन्तर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा।	
	2) किसी भी आइटम के लिये प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।	
	3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत शैक्षणिक सत्रों में सेवा/सदस्यता से है।	
-CØ	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण	15
-DØ	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो।	15
-EØ	ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.ए.स. एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हो या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हों, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये)	15



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
-FØ	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15

नोट:

- श्रेणी -CØ से -FØ तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अंत में दिये गये हैं। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त -AØ से -FØ तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे अधिकतम 25 अंकों का ही लाभ दिया जायेगा।
- खेलकूद / एन०सी०सी० / एन०एस०एस० / स्काउट—गाइड / रोवर्स—रेंजर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि से पूर्व में अर्जित किये गये हों।
- टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।



# बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## परिशिष्ट-2

संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2020–22 से सम्बन्धित विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों के नाम
1.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226007
2.	महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006
3.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा – 282004
4.	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या – 224001
5.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ – 200005
6.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी – 248128
7.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी – 221002
8.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221001
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर – 222003
10.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009
11.	छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर – 208025
12.	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज – 211002
13.	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया – 277301
14.	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर – 272205
15.	ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू—अरबी—फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ—226013
16.	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोयडा— 201312



## बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### परिशिष्ट-3

राज्य स्तरीय बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2020–22 के परीक्षा केन्द्रों के लिए  
प्रस्तावित शहरों की सूची \*

क्रम संख्या	शहर का नाम	कोड
1	अयोध्या	40
2	अलीगढ़	41
3	आगरा	42
4	आजमगढ़	43
5	कानपुर	44
6	गाजियाबाद	45
7	गोरखपुर	47
8	जौनपुर	48
9	झाँसी	49
10	प्रयागराज	50
11	बरेली	51
12	मेरठ	53
13	मुरादाबाद	57
14	लखनऊ	60
15	वाराणसी	61

\* अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है



## बी.एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### CONTACT US

B.Ed. 2020-22 Information Cell

9335628779, 9335711136

Fax Number

0522 ० 2740467

E ómail ID (for Candidates)

upjeebed2020@gmail.com

State Coordinator

JEE B.Ed. 2020-20  
BEd Cell,  
Department of Education,  
University of Lucknow,  
Lucknow ० 226007  
9335715247

Registrar / State Nodal Officer

0522- 2740412

Website

www.lkouniv.ac.in

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19/री.सी.-।।, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

**(प्रपत्र- I)**

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पति/पुत्री ..... ग्राम/कस्बा.....


पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....

तहसील ..... ज़िला ..... राज्य .....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।



हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

कार्यालय-ज्ञाप. संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19पी.सी.-॥। दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

**(प्रपत्र- II)**

**आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र**

**स्वयं घोषणा पत्र**

मैं	पुत्र/पुत्री/पत्री
ग्राम/कस्बा	पोस्ट ऑफिस
थाना	ब्लाक
जिला	राज्य

ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

**अथवा**

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है—
  - I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
  - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
  - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
  - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे जान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

**नोट:-** जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–1

(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र)

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती .....  
एक विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है। उनके पति श्री/स्वर्गीय .....  
की मृत्यु अभिलेखों के अनुसार दिनांक .....  
को हुई है।

दिनांक : ..... तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर

अधिकारी का नाम .....  
.....

- ब) तलाकशुदा स्त्री के लिये न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धित न्यायालय के  
निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का संलग्न करना अनिवार्य है।

- (स) परित्यक्ता महिला के लिये न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिए न्यायालय में दी  
गयी अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही की न्यायालय से प्राप्त  
प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### प्रमाण पत्र का प्रारूप—2

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती ..... के  
पिता/पति एक प्रतिरक्षा अधिकारी है जिनका रैंक ..... तथा नम्बर ..... है  
जो कि सक्रिय सेवारत हैं

अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपांग हो गये

अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

श्री/कु./श्रीमती ..... इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी  
हैं।

दिनांक.....

आफीसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेट्री सोल्जर्स बोर्ड  
के हस्ताक्षर एवं मोहर  
अधिकारी का पूरा नाम .....



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप–3

अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मणिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.....

पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी गांव/शहर .....

तहसील ..... जिला ..... प्रदेश .....

का जन्म ..... जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति/जनजाति  
(संशोधन) एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा मान्य  
अनुसूचित जाति/जनजाति है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक हस्ताक्षर

स्थान नाम

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/  
सिटी मणिस्ट्रेट/परगना मणिस्ट्रेट/तहसीलदार



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### प्रमाण पत्र का प्रारूप—4

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....

तहसील ..... नगर ..... जिला .....

उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी

जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत सामान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या—22/16/92—का 02/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1955 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के

ग्राम ..... नगर ..... जिला .....

में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

स्थान

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

नोट : अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग लिये जाति प्रमाण पत्र 01 जनवरी, 2020 के पश्चात् निर्गत हुआ होना आवश्यक है क्योंकि क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### प्रमाण पत्र का प्रारूप—5

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.\* .....

श्री \*\* .....

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी ..... के आश्रित \*\*\* .....

हैं।

दिनांक : .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : .....

पदनाम मोहर के साथ

अधिकारी का पूरा नाम .....

नोट : इस प्रमाण—पत्र के साथ जिला अधिकारी प्रदत्त प्रमाण—पत्र एवं पेशन बुक की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उपरोक्त के अभाव में यह प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

\* यहाँ आश्रित का नाम लिखें

\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का नाम लिखा जाये।

\*\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित का सम्बन्ध लिखा जाये।

केवल जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य है।



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-6

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....

पुत्र/पत्री/पत्नी श्री..... रैंक.....

.. नम्बर ..... जो प्रतिरक्षा सक्रिय सेवा में है अथवा सेवानिवृत्त हो चुका है अथवा युद्ध के समय लापता हो गये है।

आफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स

बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

अधिकारी का पूरा नाम.....

दिनांक:.....



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-7

(पुलिस / पी.ए.सी. / होमगार्ड / बी.एस.एफ. / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी.एफ. विभाग का  
प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. / श्रीमती .....  
...के पिता/पति श्री ..... एक  
पुलिस/पी.ए.सी./होमगार्ड/बी.एस.एफ./आई.टी.बी.पी./सी.आर.पी. विभाग में सेवारत कर्मचारी है  
जिनका रैंक ..... नम्बर. ..... है / सेवारत है / थे और अपंग हो  
गये। उन्होंने सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

दिनांक:.....

पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेण्ट के हस्ताक्षर  
पद की मोहर के साथ  
अधिकारी का पूरा नाम



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### प्रमाण पत्र का प्रारूप—8

(केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....

आत्मज/आत्मजा ..... ग्राम .....

तहसील..... नगर..... जिला ..... राज्य  
के/ की स्थाई निवासी है। अतः ये दूसरे प्रान्त के/की श्रेणी में आते/आती हैं।

दिनांक:.....

पद जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
पदनाम की मोहर.....



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### प्रमाण पत्र पत्र का प्रारूप—9

(यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता/पिता निवासी हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) .....  
..... पिता/माता श्री/कु. (अभ्यर्थी का नाम) ..... उत्तर प्रदेश  
के गाँव/शहर ..... तहसील ..... जिला ..... के मूल  
निवासी है तथा श्री/कु./श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम) ..... के  
माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक .....

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम .....

पद नाम .....

मोहर

(जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा.आ.सं.-157/जीन-2003-77(II)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किये जायेंगे।



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-10

(विकलांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....  
आत्मज/आत्मजा..... ग्राम ..... तहसील.....  
..... नगर..... जिला..... राज्य ..... के निवासी हैं  
और निम्नांकित विकलांग श्रेणी में आते हैं। परन्तु इस श्रेणी में आते हुए भी वे चर्म रोग, हकलाना,  
मूक बधिर या किसी अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिनके छात्रों में संक्रमण या उनकी  
कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। उनकी विकलांगता .....  
..... अंग से सम्बन्धित है तथा विकलांगता का स्वरूप ..... प्रतिशत है।

विकलांगता की श्रेणी

1. हाथ या पैर से विकलांग
2. आंख से विकलांग

दिनांक:.....

मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

एवं मुहर



# बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप—11

## सामान्य निवास प्रमाण पत्र

तहसीलदार ..... की आख्या दिनांक ..... के आधार पर एतद्  
द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी मकान नम्बर.....  
ग्राम ..... मोहल्ला ..... तहसील .....  
जनपद ..... उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं व उनका वर्तमान पता  
मकान नम्बर ..... ग्राम ..... मोहल्ला .....  
तहसील ..... जनपद ..... उत्तर प्रदेश है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप—1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना तथा  
इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य  
निवासी होने का प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर उपजिलाधिकारी

पूरा नाम

पद नाम

मुहर

(उपजिलाधिकारी की सील)



## बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

